मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर
(574, साउथ सिविल लाईन्स)

<u>विज्ञप्ति</u>

कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,574, साउथ सिविल लाईन्स जबलपुर में **राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण/म0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय कार्य योजनान्तर्गत संचालित एवं कियान्वित विधिक सेवा के क्षेत्र में योजनाओं** एवं कार्यकमों पर **अनुसंधान** हेतु **"अनुसंधान अधिकारी"** के पूर्णतः अस्थायी पर संविदा आधार पर (मात्र एक वर्ष के लिये) नियुक्ति हेतु इच्छुक अभ्यार्थियों के आवेदन पत्र **दिनांक 1/03/2011 तक आमंत्रित किये जाते हैं।**

<u>पद से संबंधित शर्तें एवं जानकारी निम्नानुसार है:--</u>

1 पद पूर्णतः अस्थायी एवं एकांगी होने आरक्षण/रोस्टर नियम प्रभावशील नही होगा।

2 उक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने की दिनांक को अभ्यार्थी को किसी भी राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय से विधि स्नातक होना अनिवार्य है।

3 उक्त पद हेतु एक मुश्त रू0 10,000/-(दस हजार) मासिक वेतन देय होगा इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता आदि देय नही होगा।

4 आवेदन की दिनांक को आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम तथा पुरूषों के लिये 35 वर्ष से तथा महिलाओं के लिये 45 वर्ष से अधिक नही होना चाहिये।

5 नियुक्त कर्मचारी को संविदा नियुक्ति के नियमों के ही अनुसार अन्य प्रसुविधाओं का लाभ देय होगा ।

6 नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी हो कर एक वर्ष के लिये संविदा आधार पर होगी तथा एक वर्ष के उपरान्त स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

7 शासकीय/अर्द्ध शासकीय/निगम/मण्डल में कार्यरत कर्मचारियों को राज्य शासन के नियमानुसार आयु सीमा में शिथिलता दी जायेगी।

8 नियुक्त कर्मचारी पर राज्य शासन के संविदा नियुक्ति नियम एवं राज्य प्राधिकरण के नियम तथा समय-समय पर जारी होने वाले आदेश/निर्देश प्रभावशील होगें ।

09.02.11

सदस्य सचिव